कार्यालय

"उत्तराखण्ड वन–सदैव आपके संग"

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण,मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण।

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड़, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

सेवा में,

प्रबन्धक (तक0)
कृते परियोजना निदेशक,
मकान सं0 171, फेज–I वसन्त विहार, देहरादून–248006
पी0आई0यू0 वसन्त विहार, देहरादून।

विषय :– उत्तराखण्ड एवं हिमांचल राज्य अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून) के किमी0 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक, के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक NHAI/PIU-VSNT-VIHR/22021/BLPR-PNTA/Forest(DDN)/NH-72/2020/660 दिनांक 16.06.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में उत्तराखण्ड एवं हिमांचल राज्य अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून) के किमी0 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु मानचित्र को तैयार कर सी0डी0/ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

चयनित स्थल की केएमएल से हवाई दूरी निम्नवत आंकलित की गई है:–

क्र.सं.	वन्यजीव अभ्यारण्य/राष्ट्रीय पार्क/आरक्षित वन क्षेत्र	हवाई दूरी
1	आसन कंजर्वेशन रिजर्व की निकटतम सीमा से	924 मी0
2	राजाजी टाइगर रिजर्व की निकटतम सीमा से	8.5 कि0मी0

उपरोक्तानुसार हवाई दूरी दी गयी केएमएल के अनुसार जी0आई0एस0 तकनीकी से सन्निकट आंकलित की गयी है।

संलग्नक:– सी0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by PANKAJ KUMAR
Date:Tue Jun 29 17:40:33 IST 2021
Reason: Approved

उप वन संरक्षक
अनुश्रवण,मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून

74

परियोजना का नामः– उत्तराखण्ड एवं हिमांचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक, के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढिकरण हेतु।

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण द्वारा उत्तराखण्ड एवं हिमांचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब–बल्लूपुर (देहरादून) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक, के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढिकरण हेतु याचित वन भूमि की आसन कंजर्वेशन रिजर्व व राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से हवाई दूरी क्रमशः–924 मी0 एवं 8.5 कि0मी0 सन्निकट आंकलित की गयी है। प्रस्तावित परियोजना/कार्यस्थल राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव विहार के अन्तर्गत स्थित नहीं है। इस परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। भारत सरकार का पत्रांक 6-60/2020 WL दिनांक 16 जुलाई 2020 के अनुसार उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की पर्यावरणीय स्वीकृत की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त परियोजना निर्माण हेतु जनहित में सहमति व्यक्त की जाती है।

(जे0एस0 सुहाग)
मुख्यवन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

85–राजपुर रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न0–0135–2742884 फैक्स–2745691 ई–मेल–

पत्रांक 458 /12–1 देहरादून दिनांक 11 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी वन प्रभाग, कालसी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
3. मै0 योंग्मा इन्जीनियरिंग को0 लि0।

(जे0एस0 सुहाग)
मुख्यवन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

D/Man

प्र0 व0 अ0
19/8

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

उप–प्रभागीय वनाधिकारी
साहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून

YONGMA ENGINEERING CO. LTD.

73